रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67 / 2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

आवश्यक सूचना

समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना ई–मेल आई0डी0 व मोबाईल नं0 कार्यालय को प्रेषित करें ताकि उन्हें नवीनतम सूचनायें E-mail अथवा S.M.S. के माध्यम से भेजी जा सके। रजिस्ट्रार
registrarbehmup@gmail.com

पत्र व्यवहार हेतु पता :– ,
सम्पादक, इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट, 127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –39 ● अंक –19 ● कानपुर 1 से 15 अक्टूबर 2017 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

इहमाई ने केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्री से की मांग

राज्यों में शीघ्र लागू हो एडवाइज़री

ज्यों–ज्यों दिसम्बर का महीना नज़दीक आता जा रहा है त्यों–त्यों इलेक्ट्रो होम्योपैथों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कयास लगाये जा रहे हैं, लोगों की उत्कण्ठायें बढ़ती ही जा रही हैं, हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी है, कुछ लोग आश्वस्त हैं, कुछ असमंजस्य में, लोगों की अपनी–अपनी गणित है, दिसम्बर का महीना वह कठिन प्रश्न बनकर रह गया है जिसे हल करने के लिये हर व्यक्ति समीकरण की तलाश में है परन्तु जब तक दिसम्बर पूरा नहीं होता तब तक सिर्फ कल्पनायें हैं।

मार्च से प्रारम्भ हुआ प्रपोज़ल देने का सिलसिला अभी तक अनवरत रुप से चल रहा है, हर महीने किसी न किसी राज्य से प्रपोज़ल दिये जाने के समाचार संज्ञान में आया करते हैं और अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद दिसम्बर तक लगातार हमारे साथी प्रपोज़ल प्रेषित करते रहेंगे।

जो बड़े राज्य हैं वहाँ से तो प्रपोज़ल पहले ही भेजे जा चुके हैं और जो छोटे राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से भी प्रपोज़ल भेजे जाने की सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही है सिर्फ जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा ही ऐसे राज्य हैं जहाँ सन्नाटा है, जानकारी में आया है कि अरुणांचल व मेघालय में भी तैयारियां चल रही हैं और यदि सरकार ने दिसम्बर के आगे का समय बढ़ाया तो हो सकता है हर ज़िले से एक प्रपोज़ल पहुँचने लगे, प्रपोज़ल देने में कोई बुराई नहीं है (यह कई बार आपसे बताया जा चुका है) परन्तु जिस तरह की सामग्री प्रपोज़लों के माध्यम से सरकार को भेजी जा रही है वह कोई नई स्थिति न पैदा कर दे इसका भय हर समय बना रहता है क्योंकि प्रथम आवृति में जिन लोगों ने प्रपोज़ल प्रेषित किये थे उनकी योग्यता व अनुभव पर किसी तरह का सन्देह नहीं किया जा सकता परन्तु पता नहीं ऐसी कौन सी कमी थी जिसके चलते भारत सरकार ने सात के सातों प्रपोज़लों को अस्वीकार कर दिया, यह कोई चौकाने वाली बात नहीं थी परन्तु उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात रही होगी जिनके प्रपोज़लों पर सरकार ने विचार करना उचित नहीं समझा, प्रपोज़लों का विचार करना या वापस होना यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है परन्तु जिन लोगों के प्रपोज़ल वापस हुए हैं उनके मनोबल निश्चित रुप से गिरते हैं इसलिए अब जो भी संगठन या संस्था सरकार को प्रपोज़ल प्रस्तुत करे वह इस बात पर विशेष ध्यान दे कि सरकार ने जो जानकारियां मांगी हैं वह उसी स्तर की होनी चाहिये जैसी सरकार को आपेक्षित है।

- ✓ 21 जून ही है एडवाइज़री
- ✓ इसे लागू होना आवश्यक
- ✓ राज्य ही हैं सर्वोपरि
- ✓ इहमाई ने डाला दबाव
- ✓ एडवाइज़री ही विकल्प
- ✓ संकल्प हों पूरे

जुलाई के महीने में संसद में सांसदों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में माननीय स्वास्थ्यराज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा जो बयान सदन के पटल पर दिया गया और उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई उस पर तो बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा अपनाई गयी नीति के कारण काफी हद तक नियन्त्रण पाया जा चुका है और वातावरण भी सामान्य हो गया है, लेकिन मंत्री जी के बयान से एक बात निकल कर आयी वह यह कि सरकार का रूख साकारात्मक है और सरकार पूर्व में एक एडवाइज़री जारी कर चुकी थी जिसे सभी राज्यों को अपने अपने राज्यों में लागू करना है। यह एडवाइज़री और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रतिवेदन का निस्तारण करते हुए 21 जून, 2011 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय ने जो आदेश जारी किया था वही है ! आपको बता दें कि इस आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान करने की अनुशंसा भारत सरकार द्वारा की गयी और भारत सरकार ने सभी राज्यों को लिखा भी था कि प्रत्येक राज्य में इस आदेश का अनुपालन हो, समय बीतता गया परन्तु किसी भी राज्य ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, धीरे– धीरे समय व्यतीत होने लगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलन भी ज़ोर पकड़ने लगा पूरे भारत से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रेगुलेट करने की आवाज़ उठने लगी, तब 28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैकेनिज़्म के लिए एक इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का गठन किया।

कमेटी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविक स्थिति का अन्दाज़ा लग सके इसलिए भारत सरकार ने पूरे भारत के संगठनों से प्रपोज़ल मांगे इन प्रपोज़लों में भारत सरकार ने कुछ निश्चित जानकारियां चाहीं, जिन्हें हमें सरकार तक प्रेषित करनी है।

इसी प्रपोज़ल देने की प्रक्रिया में हर संगठन प्रपोज़ल देने की दिशा में सक्रिय हो गया परन्तु प्रपोज़लों की जो परिणिति हुई उससे कोई सबक ले या न ले परन्तु हमने यह सबक लिया है कि जैसे भी हो भारत सरकार पर यह दबाव डालना चाहिये जिस एडवाइज़री को लागू करने की सरकार द्वारा बार–बार बात की जाती है उसे लागू करवाना चाहिये, आपको यह जानकारी होनी चाहिये कि चिकित्सा के क्षेत्र में राज्यों का अलग स्थान व महत्व है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी इस बात को स्वीकारा गया है पिछले दिनों 24 अगस्त, 2017 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय जे0 पी0 नड्डा जी ने एक मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय चन्द्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर राज्यों के अधिकार पर सूचित किया है, यह इस बात का प्रमाण है कि राज्यों के अधिकार असीमित हैं किसी भी चिकित्सा पद्धति को अपने राज्य में फलने फूलने का पूरा अवसर राज्य पर ही निर्भर करता है। केन्द्र नीतियां बनाता है और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने अपने राज्यों में अपने हिसाब से अनुपालित करती हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में यह अवसर पहली बार नहीं आया। आज से उन्नीस साल पहले माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए 18 नवम्बर, 1998 को कुछ निर्देश जारी किये थे जिन्हें केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश अपने– अपने राज्यों में लागू करने थे। केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी 24 नवम्बर, 2000 को सुप्रीमकोर्ट ने भी 18 नवम्बर, 1998 के आदेश पर कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की यह सहमति थी कि 18 नवम्बर, 1998 को पारित आदेश का अनुपालन केन्द्र सहित सभी राज्यों द्वारा किया जाये।

केन्द्र सरकार ने बड़ी चतुराई से इस आदेश का अनुपालन न करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया,जिसकी रिपोर्ट 25 नवम्बर, 2003 को आयी और इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ ?यह अब बताने की आवश्यकता नहीं है, यदि उस समय केन्द्र सरकार द्वारा हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन किया गया होता तो शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति आज कुछ और ही होती।

जो गुज़र गया उसपर अब व्यर्थ का विलाप है जो ताज़ा स्थिति हमारे सामने है हमें उससे निपटना है और विवेक के साथ कार्य करना है 30 दिसम्बर तक का समय उसके बाद सरकार क्या स्टैण्ड लेती है ! यह किसी को पता नहीं, जो स्थितियां बन रही हैं उसमें सबसे अच्छा विकल्प यह है कि बिना समय नष्ट किये हम सरकार पर दबाव बनायें कि केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों को यह लिखे कि 21 जून, 2011 का जो आदेश है उसे राज्य सरकारें अपने यहां शीघ्र से शीघ्र लागू करें जिससे कि वर्षों से पड़ी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्या का समाधान हो सके और देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथों का भविष्य निर्धारित हो सके।

इन्हीं सब बातों पर गम्भीरता से विचार करने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने भारत के स्वास्थ्य मंत्री माननीय जे0 पी0 नड्डा को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि वह 21 जून, 2011 के आदेश का अनुपालन करायें।

हमने रोका नहीं – तुम्ह रुके भी नहीं

जो हमराह होता है उससे अपेक्षा की जाती है कि जो भी कदम बढ़ाया जायेगा वह साथ–साथ बढ़ेगा परन्तु कभी–कभी ऐसा भी होता है कि साथ चलने वाले साथी के मन में यह विचार पैदा हो जाता है कि बहुत देर साथ रहे तो कहीं हम अपना अस्तित्व ही न खो दें ! इसलिये अलग चल देता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज कल एक बार फिर आगे निकलने की होड़ मच गई है हमारे साथी जो कुछ भी सोच रहे हैं यह तो वही जानते हैं, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उससे तो यही लगता है कि हमारा हर साथी सबको पीछे छोड़ कर खुद आगे बने रहना चाहता है, आगे बने रहना अच्छी बात है परन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जब बहुत सारे साथी एक साथ चल रहे हों तो आगे कोई एक ही होगा शेष नम्बर दो या तीन पर या फिर इसी क्रम से आगे या पीछे होंगे सम्भव है कि कोई तो पंक्ति में सबसे अंतिम होगा, आगे और पीछे का खेल वहाँ अच्छा लगता है जहाँ कोई नम्बर गेम चल रहा हो परन्तु जहाँ पर लक्ष्य निर्धारित हो और उद्देश्य भी एक हो वहाँ आगे या पीछे कोई अर्थ नहीं रखता।

जब कभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी उस समय वही आनन्द उठायेगा जो वांछित मापदण्डों को पूर्ण करेगा, वहाँ पर न तो कोई आगे होगा न कोई पीछे, चिकित्सा व्यवसायी को चिकित्सा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो तो वहाँ आगे–पीछे का क्या अर्थ ! विद्यालय संचालन का अधिकार हर उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो नई व्यवस्थाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति करेगा, यदि शासकीय सेवाओं का अवसर होगा तो वही लाग उठायेगा जो हर अहर्तायें पूरी करेगा इसलिये हमारे लिये आगे और पीछे दोनों से कोई मतलब नहीं।

यहाँ तो एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हो जाये और इस चिकित्सा पद्धति को भी वह सम्मान प्राप्त होने लगे जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को प्राप्त है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को स्थापित करने का हम सब को जो अवसर प्राप्त हुआ है उस अवसर का हमसब लोगों को लाग उठाना चाहिये, यह लाग कैसे मिले ?यह हम सब के विवेक पर निर्भर करता है और विवेक का प्रयोग व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर ही हो, सितम्बर के महीने में कुछ लोगों ने सरकार के पास अपने प्रपोज़ल भेजे हैं यह वही लोग हैं जो पिछले 6 महीनों से उहापोह की स्थिति से गुज़र रहे थे, वह यह निर्णय ले नहीं पा रहे थे कि प्रपोज़ल भेजा जाये या न भेजा जाये !

प्रपोज़ल देना हर संस्था के अधिकार क्षेत्र में है जो सरकार द्वारा निर्धारित और वांछित जानकारियां हैं, यदि हम तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रख पाते हैं तो प्रपोज़ल देने में कोई हानि नहीं है, प्रपोज़ल देने में एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में औषधियों का निर्माण जिस विधि से होता है वह विधि कितनी उपयोगी है और उस विधि की प्रमाणिकता क्या है ?विश्व के हर क्षेत्र में जो भी चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं हर पद्धति के औषधि निर्माण की अपनी एक मानक विधि है उसी के आधार पर औषधियों का निर्माण होता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के औषधियों का निमार्ण स्पैजिरिक विधि से होता है और यह स्पैजिरिक विधि जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में भी समाहित है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया एक सरकारी मानक ग्रंथ है अस्तु इस ग्रंथ पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा सकता जो संस्था या संगठन अपने प्रपोज़ल में स्पैजिरिक और जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया की उपादेयता को स्वीकारता है और अपने प्रपोज़ल में उसका उल्लेख करता है ऐसे लोगों को सहयोग और समर्थन मिलना चाहिये।

चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना हमारे लक्ष्य की प्राथमिकता में है इसलिये उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम वह सबकुछ स्वीकार कर लेते हैं जो वैधानिक रुप से स्वीकरणीय हो, आने वाले समय में बहुत सम्भव है कि कुछ और लोग भी प्रपोज़ल सरकार को प्रेषित करें, इन प्रपोज़लों का क्या होगा ?यह जानना हमारे बस की बात नहीं है हम न तो किसी को राय देते हैं कि वह प्रपोज़ल दे और न ही किसी से यह आग्रह करते हैं कि आप प्रपोज़ल नहीं दें।

भारत में लोकतंत्र है हर व्यक्ति को अपनी बात कहने व रखने की स्वतंत्रता है परन्तु जब बात इकाई की न होकर जन–कल्याण की हो तो कोई बात कहने या रखने के पहले इसपर बार–बार विचार कर लेना चाहिये कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं या दे रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा ?

गति पकड़ती गतिविधियाँ

जीवन में गति बनी रहे इसलिये कुछ न कुछ होता रहता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी कुछ न कुछ होता रहे इसलिये यहाँ भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है, यह अलग बात है कि इतना कुछ चलने के बाद भी आज भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी उस गति को प्राप्त नहीं हुई जिस गति को उसे प्राप्त होना चाहिये।

जीवन में जिस गति से चलना होता है बहुत कम लोग उस गति से कदमताल मिला पाते हैं, यही कारण है कदम की चाल बिगड़ जाती है। जहाँ विज्ञान में कई प्रकार की गतियां हैं वहीं साहित्य में भी विभिन्न प्रकार की गतियों का उल्लेख मिलता है इनमें उर्ध्व गति, अधो गति, निम्न गति, तीव्र गति समयानुसार हर गति की अपनी अलग आवश्यकता और उपयोगिता होती है, लेकिन यही गति जब गतिविधियों में बदल जाती हैं तो यह गतिविधियाँ जीवन को प्रभावित करने लगती हैं।

आज कल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं और यह गतिविधियाँ भी ऐसी हैं जो बरबस ही मन अपनी तरफ खींच लेती हैं, एक ज़माना था जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के आन्दोलन का केन्द्र बिन्दु उत्तर प्रदेश राज्य का कानपुर जनपद प्रमुःखता से हुआ करता था, समय ने करवट ली सारी गति–विधियाँ ही बदल गयीं, आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सारा आन्दोलन महाराष्ट्र पहुँच चुका है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पूरे आन्दोलन की कमान मुम्बई और उसके आस–पास आकर ठहर गई हैं जिससे की जो प्रवासी उत्तर प्रदेश के आन्दोलनकारी हैं वह भी अपनी जड़ें मुम्बई में जाकर तलाश रहे हैं, यह उसी तरह है जिस तरह से वर्तमान में भारत की सारी राजनीति गुजरात से संचालित हो रही है परन्तु आधार अभी भी उत्तर प्रदेश से है, ऊर्जा भी उत्तर प्रदेश देता है और स्थायित्व के लिये निगाहें उत्तर प्रदेश में ही टिकी रहती हैं।

भारत में जितने भी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं वे अपनी ज़मीन उत्तर प्रदेश में ही तलाशते हैं ठीक उसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आन्दोलन कहीं से भी चले परन्तु जड़ें उसकी उत्तर प्रदेश से ही निकलती हैं, आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का संचालन जिस आदेश से हो रहा है वह उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलता है इतना बड़ा देश है 29 राज्य हैं और कमोबेश हर राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का आधार है और हर राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नायक और नेतृत्वकर्ता भी हैं, पिछले पाँच वर्षों से महाराष्ट्र प्रमःखता से चर्चा में है बहुत सारे युवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की अगुवाई कर रहे हैं और पूरे देश का समर्थन भी इनको मिल रहा था परन्तु आश्वासन पर आश्वासन परिणाम कोई नहीं, जिससे लोगों में मोहभंग की सी स्थिति पैदा हो गई और तो और जो नेतृत्वकर्ता थे उनमें भी निराशा झलकने लगी थी, वे इस कदर निराश थे कि सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति भी कम हो गई थी निराशा इस कदर हो गई कि समूह भी कई धड़ों में बंट गया और हर धड़ा अपनी– अपनी ढपली–अपना अपना राग की तर्ज़ पर कार्य करने लगा परन्तु जबसे श्री अश्विनी चौबे भारत के नये स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने हमारे साथियों को एक नई ऊर्जा मिल गई और एक बार ऐसा लगा कि जो आत्म विश्वास उन्होंने खो दिया था वह पुनः वापस आता दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र का एक धड़ा जो ए0डी0ई0एच0 कोर्स का समर्थक है के वे लोग महाराष्ट्र सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर महाराष्ट्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को रेगुलेट करने की मांग की।

प्राप्त जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बना दी है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में आवश्यक जानकारियां जुटायेगी इस तरह से महाराष्ट्र में गतिविधियाँ तेज़ हो रही हैं वहीं दूसरे धड़े ने देश के गृहमंत्री माननीय राजनाथ सिंह के करीबी बताये जा रहे एक वरिष्ठ अधिवक्ता का महाराष्ट्र में स्वागत किया और उनसे अपेक्षा की कि वे हमारे इन साथियों को गृहमंत्री से मिलवायेंगे और हमारे यह साथी माननीय राजनाथ सिंह से मिलकर उनसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता में उनका सहयोग मांगे गे , सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि माननीय गृहमंत्री जी से मुलाकात की तिथि भी निश्चित हो गई है इस तरह से जो परिदृश्य उभरकर सामने आ रहा है वह यही इंगित कर रहा है कि गतिविधियाँ बड़ी तेज़ी से चल रही हैं, परिणामों की ज़्यादा चिन्ता न कर के हमें सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करनी होगी क्योंकि घड़ा कोई भी हो, लोग कोई भी हों, राज्य कोई भी हो जब सबके सब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य कर रहे हैं तो अच्छे परिणामों की अपेक्षा तो की ही जा सकती है।

उधर पश्चिम बंगाल में भी कुछ न कुछ गतिविधियाँ चला करती हैं पश्चिम बंगाल राज्य के साथी वैधानिकता प्राप्त करने के साथ–साथ कुछ रचनात्मक कार्य भी करते रहते हैं जिससे कि पूरे बंगाल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चर्चा में बनी रहती है।

यद्यपि बंगाल में कभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये विषम परिस्थिति नहीं रही है वहाँ की सरकार सदैव से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सहयोग और समर्थन देती रही है, इसके पीछे शायद मुख्य कारण यह है कि बंगाल राज्य में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रसार व प्रचार काफी है इसका लाभ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी मिल रहा है पिछले चार–पाँच वर्षों से महाराष्ट्र की ही तरह बंगाल भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नया आन्दोलन क्षेत्र बनकर उभरा है परन्तु अभी तक जो राष्ट्रीय पहचान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के आन्दोलन की थी उसको क्षति पहुँची है और यह राष्ट्रीय आन्दोलन धीरे–धीरे खण्ड खण्ड होते हुये राज्य स्तरीय होता जा रहा है, इससे लाभ कम हानि की आशंका ज़्यादा है, वर्तमान में एक सशक्त राष्ट्रीय आन्दोलन की आवश्यकता है जो कि वर्तमान में जो केन्द्र सरकार की नीति है उसे लागू करवाने की दिशा में किया जाये।

यह सत्य है कि चिकित्सा के क्षेत्र में राज्यों के अपने अलग अधिकार हैं और राज्य के अनुसार ही कार्य करने की अनुमति होती है परन्तु राज्य उन्हीं बिन्दुओं पर कार्य करते हैं जो केन्द्र सरकार से निर्दिष्ट होते हैं वर्तमान में केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सकारात्मक कार्य कर रही है उसने जो इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी बनाई है वह कमेटी भविष्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कोई नीति बनायेगी इस नीति का निर्माण 31 दिसम्बर, 2017 के बाद ही सम्भव है क्योंकि भारत सरकार ने पूरे भारत के इलेक्ट्रो होम्योपैथों से कुछ जानकारियां चाही हैं जिसे प्रपोज़ल का नाम दिया गया है, इन प्रपोज़लों को सरकार तक पहुँचाने की अंतिम तिथि फिलहाल 31 दिसम्बर है उसके बाद ही कोई परिणाम की अपेक्षा की जा सकती है इसलिये 31 दिसम्बर तक तो हमें ठहरना ही होगा उसके बाद जैसी परिस्थिति बनेंगी उसी के अनुसार भविष्य की रणनीति बनानी होगी।

सबकुछ ठीक–ठाक रहा तो निश्चित रुप से परिणाम चौंकाने वाले तो नहीं परन्तु अच्छे अवश्य आयेंगे। अब जो शब्द ठीक–ठाक है उसे हमारे साथी ही ठीक रख सकते हैं जो गतिविधियाँ अभी तक चल रही हैं वे चिन्ता नहीं पैदा कर रहीं।

पर आन्दोलन राष्ट्रीय हो।

परिवर्तन की आस से जुड़े हैं हम सब

एक ही तरह से रहते रहते जीवन में नीरसता आ जाती है इसलिए इस धरती का हर जीवधारी परिवर्तन की इच्छा रखता है, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी, पेड़–पौधे तक यह प्रयास करते हैं कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आयें जिससे कि जीवन के प्रति मोह बना रहे, एकरसता सदैव से ही जीवन में निराशा को जन्म देती रही है और यह सर्वविदित है कि जहाँ निराशा है वहाँ प्रगति का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखता।

परिवर्तन का तात्पर्य केवल अवस्था में परिवर्तन से नहीं होता है अवस्था का परिवर्तन मात्र भौतिक परिवर्तन की तरह स्थायी नहीं होता है समयानुसार इसमें परिवर्तन आते रहते हैं जैसे जन्म के समय शिशु , फिर किशोर, फिर युवा परिवर्तित होते होते हम वृद्धावस्था तक पहुँच जाते हैं और एक अवस्था ऐसी भी आती है जब काया में किसी भी तरह की परिवर्तन की सम्भावनायें नहीं रहती हैं वह अवस्था होती है जब शरीर में जीवन नहीं रहता है।

जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन की आस बनी रहती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अवस्था की बात करें तो लगभग डेढ़ दशक की अवस्था पार हो चुकी है और यह परिवर्तनों का ही प्रभाव है कि अभी भी जितने भी लोग लगे हैं उन्हें यह अपेक्षा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में परिवर्तन होना है, अतीत से लेकर आज तक की बात करें तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कभी स्थिर नहीं रही उसमें भी परिवर्तन होते रहे हैं मैटी ने अविष्कृत किया, कोली और क्वॉन्टी ने आगे बढ़ाया थ्यूडरक्रास और जिम्पल ने इसे और आगे बढ़ाया तब से लेकर आज कल निरन्तर कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो तब हुआ जब 1978 में जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में स्पैजिरक विधि को समाहित कर लिया गया। आपको बताना उचित होगा कि जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के तीन अंग हैं प्रथम अंग में होम्योपैथी दूसरे अंग में बायोकेमिक और तीसरा और अन्तिम अंग है वह स्पैजिरक अर्थात इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अंग है।

यह वह महत्वपूर्ण परिवर्तन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में महत्वपर्ण भूमिका का निर्वाहन कर रहा है, इटली से चलकर जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत वर्ष में आयी तब उस समय नवोदित होने के कारण मात्र कुछ हाथों में ही सिमट कर यह चिकित्सा पद्धति रह गयी उस कालखण्ड में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास अवरूद्ध सा हो गया था क्योंकि तत्कालीन होम्योपैथिक के संचालक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन निजी तौर पर कर रहे थे, व्यवसायिक भाषा में उस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी मालिक, नौकर, मोहरा और प्यादे के रूप में संचालित हो रही थी परन्तु प्रकृति का नियम है कि कभी भी एक स्तर से कोई चीज नहीं चलायी जा सकती, यहाँ भी परिवर्तन हुआ सन् 70 का दशक आते–आते इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन हो गया शिक्षा व्यवस्था से लेकर औषधि निर्माण व जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र थे सब में शनैः शनैः परिवर्तन होने लगा, परिवर्तन की बयार इतनी तेज चली कि वर्षों से चली आ रही परम्परायें नवीनीकृत हो गयीं।

गुरू शिष्य परम्परा से विद्यालयी शिक्षा हो गयी, औषधि पर जो एकाधिकार था वह भंग हुआ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि सुलभ हो गयी, विकास की नई इबारत लिखी जाने लगी एक काफी बड़ी संख्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ने लगी अभी तक जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मात्र झानांजन के लिए सीखते थे अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी लाखों लोगों के सम्मान जनक उदर पूर्ति का साधन बनी हुई है, जब इतनी बड़ी संख्या निकल कर सामने आयी तब लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई और आन्दोलनों की शुरूआत हुई आन्दोलन का जन्म तो 1951 में ही पड़ चुका था परन्तु वास्तविक आन्दोलनों का प्रारम्भ सन् 1983 से हुआ जब दिल्ली के इक़बाने ग़ालिब हॉल से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का स्वर फूटा, यह वह ऐतिहासिक सम्मेलन था जिसमें पूरे भारत के इलेक्ट्रो होम्योपैथ सम्मलित हुए और इसका श्रेय जाता है उस समय के युवा और कर्मठ कर्मयोगी डा0 एम0 एच0 इदरीसी को, कहने को कोई कुछ भी कहे प्रारम्भ करना ही कठिन काम होता है और जब एक बार प्रारम्भ हो जाता है तो सिलसिला शुरू हो जाता है।

इस उद्घोष ने सरकारी मशीनरी को चौकन्ना कर दिया और सरकार में बैठे अधिकारी यह कानाफूसी करने लगे कि एक नई चिकित्सा पद्धति विकल्प के रूप में सामने आ रही है जबकि सत्यता यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, विकल्प के रूप में इस पद्धति को स्वीकारना इस पद्धति के साथ क्रूर मज़ाक है।

जो लोग इस पद्धति की उपेक्षा करते हैं वह इसलिए नहीं करते हैं कि यह पद्धति लाभकारी नहीं है वरन उपेक्षा का कारण यह है कि अगर इस पद्धति को शासकीय सरंक्षण मिल गया तो अन्य पद्धतियों की तुलना में यह चिकित्सा पद्धति कहीं ज़्यादा लोकप्रिय न हो जाये, हो सकता है कि कुछ लोग इस चिन्तन को दिमाग का दिवालियापन कहें या फिर दिवास्वप्न यह जो लोगों का विवेक है उनकी अपनी कसौटी है और उनका निजी चिन्तन है।

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिस पायेदान पर

खड़ी है उसके पीछे वर्षों की मेहनत लाखों लोगों के परिश्रम व प्रतीक्षा की पराकाष्ठा है, ऐसी परिस्थिति में यदि हम सब परिवर्तन की बाँट जोह रहे हैं तो क्या गलत है ?तमाम उतार चढ़ाव के बाद आज हम अभिमान से यह कह सकते हैं कि एक समय था जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी कुछ स्थानों तक सीमित थी आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी राष्ट्र से राज्यों तक, राज्यों से शहरों तक और शहरों से गाँवों तक और गाँवों से घरों तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गूंज सुनाई देती है, अब शायद ही कोई ऐसी बहरी सरकार हो जो हमारी आवाज़ को नकार दे, हमें न तो क्रनन्द करना है और न ही वन्दन, हम जिस अधिकार के अधिकारी हैं वह हमें मिलना चाहिये वैसे तो मिलने का सिलसिला 1998 से प्रारम्भ हो गया था जो आज तक आश्वासनों में मिल रहा है अब हमें आश्वासनों से ऊपर उठकर वास्तविकता के तार जोड़ने हैं।

28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैकेनिज़्म के लिए जो व्यवस्था तय की है हमें उस निर्धारित व्यवस्था का पालन करना है और व्यवस्था का पालन करते हुए आगे आने वाले भविष्य का निर्धारण भी करना है।

वैसे सामान्य दृष्टि में सरकार ने जो व्यवस्था तय की है उसकी अवधि काफी लम्बी कर दी है, फरवरी से लेकर दिसम्बर, दस महीने का लम्बा समय 4 प्रखण्डों में प्राप्त अवसर काफी लम्बा है परन्तु फिर भी जो सरकारी प्रक्रिया है उसका निर्वाहन और पालन हमें ही करना है और कर भी रहे हैं परन्तु जब प्रक्रिया काफी लम्बी हो जाती है तो संशय स्वतः जन्म लेने लगते हैं फरवरी से लेकर सितम्बर के अन्त तक जो भी घटनायें घट रही हैं अभी तक तो वह सकारात्मक ही लग रही हैं, अगस्त के महीने में तो ऐसा लगा था कि शायद अब प्रपोजलों का लेना–देना बन्द हो जायेगा परन्तु सितम्बर के महीने में कुछ लोग प्रपोज़ल भेज चुके हैं और ऐसा लगता है कुछ लोग भेजने की तैयारी में हैं। कौन प्रपोज़ल भेजता है और कौन नही भेजता है इसका कोई अर्थ नहीं है अर्थ तो तब निकलता है कि प्रपोजलो में भेजे जाने वाली सूचनायें कितनी तर्कसंगत व वास्तविक हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथियों ने मार्च और जून में घटी हुई घटनाओं से कुछ सबक अवश्य लिया होगा और जो कुछ भी अब भेजा होगा सरकार की निगाह में वह आवश्यक और उपयोगी होगा, फरवरी से लेकर सितम्बर तक का समय तो आसानी से कट गया अक्टूबर का महीना दशहरा व दिपावली की मस्ती में कट जायेगा लेकिन जो नवम्बर और दिसम्बर का महीना है वह प्रतीक्षा का महीना होगा जो काटे नहीं कटेगा यह वही स्थिति होती है गन्तव्य तक पहुँचने में कितना भी विलम्ब क्यों न हो थोड़ी परेशानी होती है परन्तु चिन्ता नहीं होती परन्तु जब वापस आने का समय होता है तो घर ही दिखायी पड़ता है और एक एक पल भारी पड़ता है यही मनोदशा लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथों की है क्योंकि पिछले 10 महीनों से हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने जो वातावरण निर्मित किया है उससे लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस उम्मीद में बैठा है कि 30 दिसम्बर के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल ही जायेगी ।

जब कि यह सच्चाई से कोसों दूर है 30 दिसम्बर की तिथि मान्यता मिलने या कानून बनने की नहीं है बल्कि यह तिथि है जब सरकार आपके प्रपत्रों को पाने का अन्तिम अवसर प्रदान कर चुकी है।

एक बार हम आपको पुनः स्मरण दिला दें कि जिन लोगों ने 28 फरवरी, 2017 के पत्र को ध्यान से नहीं पढ़ा है वह अपने मन और मष्तिस्क को ठीक कर लें क्योंकि उस पत्र में प्रपोज़ल देने के चौथे प्रखण्ड की तिथि 30 दिसम्बर है वहां 2017 कहीं भी इंगित नहीं है यदि यह मानवीय भूल है तो कोई बात नहीं यदि चालाकी भरा कदम है तो आपको प्रपोज़ल देने के और भी अवसर मिल सकते हैं।

कुछ भी हो हमें हर परिस्थिति में रहना है और उसका सामना भी करना है हम निराशा से कभी भी हाथ नहीं मिलाते, सकारात्मक विचारों के साथ भविष्य का इन्तेज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा फलीभूत होगी इसमें दोराय नहीं है परिणाम क्या होंगे ?इस पर न जाकर एक सुखद भविष्य की कल्पना तो कर ही सकते हैं क्योंकि अभी तक भारत सरकार के जो कदम हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सापेक्ष हैं इसलिए न तो हमें व्यग्रता दिखानी है, न ही अतुरता। जो होगा सही होगा, हितकारी होगा और निश्चित रूप से प्रतीक्षा को कभी न कभी तो विराम तो मिलेगा ही और यह विराम भी परिवर्तन का संकेत है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी बनें परिणाम कुछ भी आयें पर जो कुछ भी होगा वह बदला हुआ होगा और इस बदली हुई परस्थिति में हम सबको ढलना होगा यदि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून बनाती है तो कानून के अनुसार जो प्रक्रिया होगी वह अपनानी पड़ेगी।

यदि सरकार विनियमितीकरण करती है तो नियमन के जो अंग होंगे उन्हें हमें स्वीकार करना होगा हमारी जो आदत है फिर कर लेंगे इसे बदलना होगा हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ इन्तेज़ार बहुत करता है इसका ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां आवेदन करना होता है परन्तु हमारे साथी इस विषय पर भी उदासीन हैं, हो सकता कि उनकी यह उदासीनता बदली परिस्थिति में उनके लिए भारी पड़े।

अस्तु कल का काम आज करें सफलता निश्चित है और इसी परिवर्तन की आस से हम सब जुड़े हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गौरव वापस लायेंगे–डा0बाजपेई

एक समय था जब पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अलग स्थान हुआ करता था, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डंका पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बजा करता था इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सर्वाधिक छात्र इसी क्षेत्र से निकलते थे और सेवा कार्य खूब हुआ करते थे सामान्य से लेकर समाज के अति विशिष्ट जन इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ने में अपना सम्मान समझते थे, अधिकारी वर्ग से लेकर राजनीतिज्ञ तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से जनता की सेवा करते थे।

हम जब कभी भी मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, देवबन्द या सहारनपुर के दौरे पर आते थे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास देखकर मन गदगद हो जाता था वह समय याद कर मन को थोड़ी पीड़ा तो होती है परन्तु तत्काल यह विचार भी आता है कि यदि हम उन्नति से निम्न पर जा सकते हैं तो नीचे से उठकर ऊपर भी पहुँच सकते हैं समय की धारा है, समय के बहाव में बड़ी–बड़ी चीजें बह जाती हैं। यदि परिस्थितियों वश इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुछ बदलाव आया है तो उसे हमें आत्मसात करना होगा यह विचार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रवक्ता डा0 प्रमोद शंकर बाजपेयी ने देवबन्द में आयोजित इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए व्यक्त किये।

डा0 बाजपेयी ने पुरानी बातें याद करते हुए कही कि सन् 1990 में जब मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में देवबन्द आया था उस समय डा0 इदरीसी के नेतृत्व में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए तत्पर डा0 पूरनचन्द शास्त्री ने जिस विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया था उसका एक एक चित्र मेरी आँखों के सामने घूम रहा है, वह गौरवमयी आयोजन मुझ जैसे हजारों युवाओं के दिलों में प्रेरणा बन कर उबरा था, लेकिन आज 27 साल बाद जब मैं यहाँ पुनः हूँ तो पुराने दिन मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो गौरवमयी दिन वह थे उन्हें वापस लाने का प्रयास होना चाहिये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वह कर्णधार जो उस समय नये हुआ करते थे उनमें से बहुत सारे भारतीय राजनीति में दखल रखने लगे हैं और वह लोग अभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से उतना ही लगाव रखते है जितना पहले रखते थे।

हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग जो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंग, इन जिलों में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का काफी बोल बाला था आज थोड़ी कमी अवश्य आयी है, हमारे चिकित्सकों में जो निराशा का भाव था वह धीरे–धीरे कम हो रहा है अधिकारिता के प्रति कर्तव्यों के साथ हमारे साथियों में जागरूकता दिखायी पड़ रही है। यह हमारे लिए संतोष का विषय है परिवर्तन की जो लहर पूरे देश में चल रही है उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है, किन्हीं–किन्हीं जिलों में हमें वह सहयोग व समर्थन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिये परन्तु यह कोई गम्भीर विषय नहीं है, अक्सर जब संवाद हीनता हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियां जन्म ले ही लेती हैं।

एक समय था जब बरेली में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सर्वाधिक प्रशंसक व जिज्ञासु हुआ करते थे आज हमें वहां अपनी जमीन तलाशनी पड़ रही है, हम सफल भी हुए हैं निरन्तर प्रयास निश्चित रूप से हमें सफलता देंगे और मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गौरव पुनः प्राप्त करेंगे।

हम और हमारी टीम बार–बार क्षेत्र का दौरा करेगी, चिकित्सकों से मिलेगी और वर्तमान स्थिति से परिचित कराया जायेगा थोड़ा समय लग सकता है परन्तु सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, यह मेरा अति विश्वास नहीं बल्कि आत्मविश्वास है।

कार्यक्रम को विचार देते हुए कार्यक्रम के संयोजक डा0 पूरनचन्द शास्त्री अति भावुक हो गये उन्होंने भावुकता में कहा कि डा0 इदरीसी जैसे नौजवान से मैं बहुत प्रभावित था आज भी हूँ वर्षों के बाद डा0 बाजपेयी के आने से मेरी यादें ताज़ा हो गयी हैं।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं निरन्तर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए अपना सहयोग देता रहूंगा न केवल क्षेत्र के लिये अपितु सारे देश के लिये।

देवबन्द सहारनपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति पर वार्ता करते हुये बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रवक्ता डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई उनके बायें डा0 पूरनचन्द्र शास्त्री व अन्य – छाया गज़ट

देवबन्द सहारनपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुये चिकित्सक डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई को अपनी समस्यायें बताते हुये – छाया गज़ट

निजी संस्थायें कर रही हैं चिकित्सकों का औचक निरीक्षण

जबसे सदन में माननीया मंत्री जी ने अपना बयान दिया उस बयान के बाद बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा अपनायी गयी आक्रामक नीति के तहत पूरे प्रदेश में करायी जा रही प्रेस वार्ताओं व मीटिंगों से पूरे प्रदेश का वातावरण बदल सा गया है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान वास्तविक स्थिति चिकित्सकों के सामने आ रही है जिससे चिकित्सकों में तो उत्साह है ही साथ–साथ जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलनकर्ता हैं उनके अन्दर भी ऊर्जा का संचार हो रहा है।

परिस्थितियां धीरे–धीरे सामान्य हो गयी हैं, हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि चिकित्सकों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ही व्यवसाय करना चाहिये इसे जन–जन तक पहुँचाने के लिये सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है परन्तु कहीं–कहीं ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग जागरुकता की आड़ में गलत प्रचार कर रहे हैं।

एक संगठन निरन्तर यह प्रचार करने में लगा है कि जो चिकित्सक शुद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करते हैं वह अपना नाम और पता संगठन को प्रेषित करें जिससे कि संगठन उनका नाम सरकार को प्रेषित करे, अपनी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु प्रेरित करना तो अच्छी बात है परन्तु प्रेरणा की आड़ में चिकित्सक पर अनावश्यक दबाव कदापि नहीं डालना चाहिये इसी प्रकार एक अन्य संगठन ने अपने समूह की एक टीम तैयार की है यह टीम अनायास चिकित्सक की क्लीनिक में जा कर उनकी गतिविधियों का आकास्मिक निरीक्षण कर रहे हैं जिससे कहीं–कहीं चिकित्सकों में भय व्याप्त हो रहा है, यह समय भय पैदा करने के स्थान पर प्रेरित करने का है, हमारे चिकित्सक चिन्तनशील व विवेकशील हैं वे पैथी हित में वही कार्य करेंगे जिससे सभी का कल्याण हो।

सर्व कल्याण से ही पैथी का हित निहित है अस्तु कार्य वही हों जो आवश्यक हो।